न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।

सत्र वाद सं०– 181/2020

सरकार बनाम मनीष।

अं० धारा– 354 डी, 504, 506, 376

भा०दं०सं० व 3/4 पोक्सो अधिनियम

मु०अ०सं० 20/2020

थाना– बहादुरगढ़, जिला– हापुड़।

आदेश (आरोप विरचन के संदर्भ में)

दिनांकः– 04.08.2021

पुकार कराई गई। पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त मनीष जेरे हिरासत उपस्थित आया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आरोप विरचन के बिन्दु पर बहस की गई। विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपने केस का खुलासा किया गया और उस साक्ष्य का उल्लेख किया गया, जिसके द्वारा उन्हें अभियोजन का पक्ष कथन सिद्ध करना है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त मनीष के विरुद्ध भा०दं०सं० की धारा 354 डी, 504, 506, 376 व पोक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन आरोप विरचन हेतु पत्रावली पर पर्याप्त प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध हैं। अतः अभियुक्त के विरुद्ध उक्त धारा के अधीन आरोप विरचित किया जाकर वास्ते अभियोजन साक्ष्य पत्रावली दि० 31.08.2021 को पेश हो।

दिनांकः– 04.08.2021

(श्वेता दीक्षित)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।

Shweta

Digitally signed by Shweta Dixit
Date: 2021.08.04 16:49:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।
सत्र वाद सं०– 181/2020
सरकार बनाम मनीष।
अं० धारा– 354 डी, 504, 506, 376
भा०दं०सं० व 3/4 पोक्सो अधिनियम
मु०अ०सं० 20/2020
थाना– बहादुरगढ़, जिला– हापुड़।

आरोप

मैं, श्वेता दीक्षित, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़ एतद्द्वारा आप अभियुक्त मनीष को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करती हूं–

प्रथम– यह कि दिनांक 25.01.2020 को समय करीब 10.30 बजे बस्थान ग्राम भैना, थाना बहादुरगढ़, जनपद हापुड़ में आप अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा की अवयस्क पुत्री के साथ रास्ते में आते–जाते छेड़छाड़ की। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा 354 डी के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

द्वितीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा की अवयस्क पुत्री को अपमानित करने के आशय से गंदी–गंदी गालियां दीं। इस प्रकार से आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा 504 भा०दं०सं० के तहत दंडनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

तृतीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा की अवयस्क पुत्री को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार से आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा 506 भा०दं०सं० के तहत दंडनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

चतुर्थ– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा की अवयस्क पुत्री के साथ जबरदस्ती बलात्संग किया। इस प्रकार से आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा 376 भा०दं०सं० के तहत दंडनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

<u>पंचम</u>– यह कि आप अभियुक्त ने उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर वादिनी मुकदमा की अवयस्क पुत्री के ऊपर प्रवेशन लैंगिक हमला किया। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य पोक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्त ने आरोपों को अस्वीकार किया और विचारण की मांग की।

दिनांकः– 04.08.2021

(श्वेता दीक्षित)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।

अतएव एतद्द्वारा मैं, आपको आदेशित करती हूं कि उक्त आरोपों के लिए आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः– 04.08.2021

(श्वेता दीक्षित)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।